न्यायालय–छब्बीसवें अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)
(समक्ष–रूपेश कुमार गुप्ता)

Registration No.BA/4242/2025
Filing No.-BA/41003/2025
CNR No.-MP2001-051798-2025
Filing Date-03-12-2025

अनुरूद्ध प्रताप सिंह राजपूत पिता श्री ब्रजमाधव सिंह राजपूत, आयु करीब 35 वर्ष, पेशा–एकाउंटेंट, खटवानी सेल्स एवं सर्विसेज प्रा.लि., निवासी–म.नं. 627, गौरैया प्लाट, रानीपुर, गढ़ा जिला जबलपुर (म.प्र.)

.....**आवेदक / अभियुक्त**

Registration No.BA/4243/2025
Filing No.-BA/41011/2025
CNR No.-MP2001-051809-2025
Filing Date-03-12-2025

रोहित खटवानी पिता श्री रामचंद्र खटवानी, आयु करीब 49 वर्ष, पेशा–प्रोपरायटर, खटवानी सेल्स एण्ड सर्विसेज प्रा.लि., निवासी–1655, राइट टाउन, टेली गेट नं. 2 के पास, जबलपुर (म.प्र.)

.....**आवेदक / अभियुक्त**

/ / विरूद्ध / /

मध्यप्रदेश शासन द्वारा थाना– ई.ओ.डब्ल्यू. भोपाल यूनिट जबलपुर (म.प्र.)

.....**अनावेदक / अभियोजन**

आदेश दिनांक–08.12.2025

अपराध क्रमांक	72 / 2021
थाना	ई.ओ.डब्ल्यू. भोपाल यूनिट जबलपुर
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	28.10.2021
गिरफ्तारी दिनांक	निरंक
आपराधिक रिकार्ड	निरंक
चालान प्रस्तुति दिनांक	19.11.2025

आवेदकगण अनिरूद्ध प्रताप सिंह एवं रोहित खटवानी के विरूद्ध न्यायालय सुश्री वंदना सोनी, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, ई.ओ.डब्ल्यू. जबलपुर के न्यायालय में दिनांक 19.11.2025 को अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

आवेदकगण अनिरूद्ध प्रताप सिंह एवं रोहित खटवानी की ओर से धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत पृथक–पृथक प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र क्र. 4242/2025 एवं 4243/2025 थाना ई.ओ.डब्ल्यू. भोपाल यूनिट जबलपुर के एक ही अपराध क्र. 72/2021 में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत करने से उक्त आवेदन पत्रों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

आवेदकगण/आरोपीगण अनिरूद्ध प्रताप सिंह एवं रोहित खटवानी की ओर से श्री कौस्तुब एस. झा अधिवक्ता।

अनावेदक/ ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

1. सुश्री वंदना सोनी, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, ई.ओ.डब्ल्यू. जबलपुर के न्यायालय से एस.सी. ईओडब्ल्यू प्रकरण क्रमांक 07/2025 शासन वि. रोहित खटवानी एवं एक अन्य का मूल अभिलेख अग्रिम जमानत आवेदन पत्रों के साथ प्राप्त।

2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन, आवेदकगण की ओर से पृथक–पृथक धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. के अंतर्गत प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र होना उल्लेखित कर, आवेदन के समर्थन में आवेदकगण के स्वयं के शपथ पत्र संलग्न कर प्रस्तुत किये गये हैं।

3. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्रों पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

4. आवेदक/अभियुक्त अनुरूद्ध प्रताप सिंह एवं रोहित खटवानी की ओर से प्रस्तुत पृथक–पृथक प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि, आवेदकगण के विरूद्ध थाना ई. ओ.डब्ल्यू. भोपाल ईकाई जबलपुर द्वारा अपराध क्र. 72/21 धारा 420, 467, 468, 471 भा.दं.वि. पंजीबद्ध किया गया है जिसमें अन्वेषण पूर्ण कर दिनांक 19.11.2025 को अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है जो कि जप्त किये जा चुके हैं। प्रकरण की जांच लगभग 04 वर्ष तक चली है। आवेदकगण को जांच के दौरान कभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। आवेदकगण के द्वारा विवेचना में पूर्ण सहयोग किया गया है। आवेदकगण निर्दोष हैं। उन्हें बिना किसी ठोस आधार के झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण ने कोई धोखाधड़ी, जालसाजी या नकली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया है। पूरी प्रथम सूचना रिपोर्ट शिकायत करने वाले और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक्सीडेंट के बाद हुये झगड़े पर आधारित है। आवेदक अनुरूद्ध प्रताप सिंह का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। आवेदक अनुरूद्ध प्रताप सिंह को डीलर के यहां क्लर्क की नौकरी करने के आधार पर झूठा फंसाया गया है। आवेदक रोहित खटवानी खटवानी सेल्स एण्ड सर्विसेस का मालिक है जो हर साल कई सौ गाड़िया बेचता है।

इनवाईस बिलिंग, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट और आर.टी.ओ. में कस्टमर डेटा अपलोड करने का कार्य उनके यहां कार्यरत कर्मचारी करते हैं। उसके द्वारा न तो विवादित दस्तावेज तैयार किये गये हैं और न ही उनमें हस्ताक्षर किये गये हैं। एक्सीडेंट दिनांक 30.10.2019 को हुआ था जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 28.10.2021 को दर्ज की गयी है। वाहन 23.10.2019 को बेचा गया था जिसकी इनवाईस में मृतक किशोर नायडु के हस्ताक्षर हैं। आवेदकगण का कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है एवं वे इज्जतदार परिवार से हैं। आवेदकगण साक्षियों को प्रभावित नहीं करेंगे। आवेदकगण जबलपुर के स्थायी निवासी हैं जिससे उनके भागने या फरार होने की संभावना नहीं है। वे जमानत हेतु अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करेंगे। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया है।

5. अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता सतीश कुमार नायडू के द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र दिनांकित 28.07.2020 पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध शाखा, जिला जबलपुर को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसके भाई किशोर नायडू ने 23.10.2019 को उसके साथ जाकर सुजुकी कंपनी के अधिकृत डीलर खटवानी सेल्स एण्ड सर्विसेज, राइट टाउन, जबलपुर के ब्रांच आफिस शारदा चौक, जबलपुर से वाहन एक्सेस नगद क्रय किया था जिसके उपरांत खटवानी सेल्स एण्ड सर्विसेज द्वारा बिल क्रमांक एम/सी 308 दिनांक 23.10.2019 को जारी किया गया। शासन के नियमानुसार नये वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं बीमा डीलर द्वारा किया जाना निर्धारित किया गया है जिस कारण से उसके भाई द्वारा वाहन की कीमत 59,325/—रू., वाहन के रजिस्ट्रेशन बीमा की राशि सहित कुल 72,000/—रू. खटवानी सेल्स में जमा कराये गये जिसकी पावती रसीद क्रमांक 537 पर दिनांक 23.10.2019 को जारी की गयी। खटवानी सेल्स एण्ड सर्विसेज को विक्रय दिनांक से 07 दिन के भीतर आर.टी.ओ. में रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही करनी थी। वाहन की डिलेवरी के समय ईफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बीमा पालिसी क्रमांक 21064318 दिनांकित 24.10.2019 से 23.10.2024 तक दी गयी तथा वाहन की डिलेवरी के वक्त वाहन का वारंटी कार्ड तथा सर्विसिंग बुक भी प्रदान की गयी जिसमें वाहन का विक्रय दिनांक 23.10.2019 दर्शित है। उसके भाई का दिनांक 30.10.2019 को सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। उसके द्वारा वाहन के रजिस्ट्रेशन की कापी खटवानी सेल्स से मांगी गयी किन्तु उनके द्वारा जो आर.सी. की प्रति दी गयी उसके अनुसार वाहन का रजिस्ट्रेशन दिनांक 11.11.2019 को किया जाना दर्शित

था तब विलम्ब का कारण पूछने पर उसके साथ गाली–गलौच एवं दुर्व्यवहार किया गया। आर.टी.ओ. कार्यालय से जानकारी प्राप्त होने पर बिल क्रमांक एम/सी 308 में दिनांक 23.10.2019 के स्थान पर हेराफेरी कर 04.11.2019 अंकित कर आर.टी.ओ. में प्रस्तुत किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई जबकि उसके भाई की मृत्यु 30.10.2019 को ही हो गयी थी तब उसके भाई द्वारा खटवानी सेल्स आकर गाड़ी क्रय करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। खटवानी सेल्स द्वारा फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज बीमा की प्रति सहित आर.टी.ओ. कार्यालय में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत की गयी जिस पर से खटवानी सेल्स एण्ड सर्विसेज द्वारा विक्रय किये गये एक ही वाहन की दो इन्वाइस तथा बीमा पॉलिसी तैयार कर कूटरचना कर सतीश नायडू को आर्थिक क्षति पहुंचाई। उक्त शिकायत पर से खटवानी सेल्स एण्ड सर्विसेज के प्रोपरायटर एवं अन्य के विरूद्ध थाना ई.ओ.डब्ल्यू. भोपाल में अपराध क्रमांक 72/2021 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भा.दं.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया तथा जांच के दौरान क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जबलपुर से वाहन के दस्तावेज की सत्यापित प्रतियां प्राप्त की गयीं जिसमें खटवानी सेल्स एण्ड सर्विसेज द्वारा आर.टी.ओ. में पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों में 04.11.2019 की तिथि लेख किये जाने तथा एकाउंटेंट अनिरूद्ध प्रताप सिंह द्वारा खटवानी सेल्स एण्ड सर्विसेज के प्रोपरायटर रोहित खटवानी के साथ आपराधिक षड़यंत्र रचकर किशोर नायडू के वाहन क्रमांक एम.पी. 20 एसडब्ल्यू/0708 के इनवाइस एवं बीमा पालिसी की तारीख बदलकर एवं उसमें अन्य कर्मचारियों के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उनका उपयोग आर.टी.ओ. में पंजीयन हेतु करके किशोर नायडू के साथ धोखाधड़ी करने तथा डीएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उक्त वाहनों के इनवाइस तैयार करने तथा विक्रय दिनांक 23.10.2019 के बजाय अन्य दिनांक की कूटरचित इनवायस अनिरूद्ध प्रताप सिंह द्वारा तैयार किया जाना एवं शासन के नियमानुसार वाहन के विक्रय दिनांक से 07 दिवस के अंदर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में वाहन का टेक्स जमा करना अनिवार्य होने तथा ऐसा न हो पाने की स्थिति में प्रत्येक वाहन के टेक्स का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष के मान से अधिभार देने का प्रावधान होना पाया

7. अनुसंधान के दौरान खटवानी सेल्स एण्ड सर्विसेज राइट टाउन जबलपुर की ब्रांच शारदा चौक बेदी नगर मदनमहल जबलपुर से रानी मिश्रा नाम की महिला द्वारा एक दुपहिया वाहन 29.12.2019 को क्रय किये जाने रानी मिश्रा को कंपनी से मूल इनवाईस एम/सी 445 दिनांक 29.12.2019 एवं उनके नाम की इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी क्र. 21072377 बीमा दिनांकित 30.12.2019 से 29.12.2020 तक फर्स्ट पार्टी एवं बीमा

दिनांकित 30.12.2019 से 29.12.2024 से थर्ड पार्टी होना उसने भी पैसा कंपनी को नगद एवं चैक से जाना तथा कंपनी द्वारा 29.12. 2019 को ही रसीद दिया जाना पाया गया जिसका नंबर एम.पी.20 एसडब्ल्यू 5836 है। आर.टी.ओ. कार्यालय से प्राप्त उक्त वाहन के दस्तावेज में पाया गया कि उक्त वाहन का पंजीयन इनवाईस दिनांक 08.01.2020, इंश्योरेंस फार्म 20, इनरोलमेंट डिटेल्स वीआईडी 7914988 सेल सर्टिफिकेट दिनांक 08.01.2020 लेख है।

8. इस प्रकार अनुसंधान के दौरान खटवानी सेल्स एवं सर्विसेस राईट टाउन जबलपुर द्वारा अन्य वाहनों के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करना पाए जाने पर आवेदकगण/आरोपीगण रोहित खटवानी एवं अनिरूद्ध प्रताप सिंह के विरूद्ध दिनांक 19.11.2025 को अभियोगपत्र उनको न्यायालय में उपस्थित रहने का सूचना पत्र देकर प्रस्तुत किया गया। आरोपीगण सूचना पत्र के पालन में विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये हैं।

9. आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से तर्क किया गया है कि किशोर नायडु को वाहन दिनांक 23.10.2019 को विक्रय किया गया है तथा वाहन का बीमा दिनांक 23.10.2019 को हुआ है। वाहन के क्षतिग्रस्त होने पर उसकी मरम्मत 23.10.2019 के हिसाब से कवर हुयी है। किशोर नायडु की एक्सीडेंट में मृत्यु होने के कारण बीमा कंपनी से हुये विवाद से यह रिपोर्ट की गयी है। दस्तावेजों में टायपिंग/क्लेरिकल मिस्टेक के कारण दिनांक 04.11.2019 लेख हो गयी है। प्रकरण में अभियोगपत्र प्रस्तुत हो चुका है। अनुसंधान में आरोपीगण ने पूरा सहयोग किया है तथा विवेचना के दौरान उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं हुयी है। रोहित खटवानी, खटवानी सेल्स एण्ड सर्विसेस का प्रोपराईटर एवं अनुरूद्ध प्रताप सिंह एकाउंटेट है। अपने समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत महदूम बाबा विरूद्ध सी. बी.आई., 2023 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 299 सिद्धार्थ विरूद्ध स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश एवं अन्य (2022) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस 676 एवं शैला सेबेस्टियन विरूद्ध आर. जवाहराज एवं अन्य (2018) 7 सुप्रीम कोर्ट केसेस 581 एवं माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा एम.सी.आर.सी. क्रमांक 25529/2025 बाबुलाल नरबरिया विरूद्ध म.प्र. राज्य में पारित आदेश दिनांक 08.07. 2025, एम.सी.आर.सी. क्र. 50478/25 भरत मण्डलोई विरूद्ध म.प्र. राज्य में पारित आदेश दिनांक 19.11.2025, एम.सी.आर.सी. क्र. 56523/2023 अशोक पिपाडा विरूद्ध असिस्टेंट डायरेक्टर में पारित आदेश दिनांक 25.01.2024 प्रस्तुत किये गये हैं।

10. अभियोजन/ई.ओ.डब्ल्यू. की ओर से तर्क किया गया है कि प्रकरण में अभियोगपत्र प्रस्तुति दिनांक को न्यायालय में उपस्थित

रहने हेतु आरोपीगण को नोटिस दिया गया है किन्तु आरोपीगण को नोटिस सर्व होने के बावजूद भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये हैं। अग्रिम जमानत आवेदन पत्र पोषणीय नहीं है तथा आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत During the Investigation के संबंध में है। आरोपीगण न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी नियमित जमानत करा सकते हैं। अतः आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

11. उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया गया।

12. किशोर नायडू द्वारा खटवानी सेल्स एण्ड सर्विस बेदी नगर शारदा चौक मदन महल जबलपुर से दिनांक 23.10.2019 को दुपहिया वाहन एक्सेस 125, रू. 72,000/– में क्रय की गयी थी जिसमें आर.टी.ओ. कार्यालय का पंजीयन शुल्क एवं बीमा राशि भी शामिल थी तथा वाहन क्रय करते समय इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी 21064318 जारी की गयी है जो कि दिनांक 24.10.2019 से प्रारंभ होकर 23.10.2020 तक की अवधि के लिये है। जिला परिवहन कार्यालय जबलपुर से दस्तावेज प्राप्त होने पर वाहन का पंजीयन दिनांक 04.11.2019 का एवं विक्रय दिनांक 04.11.2019 तथा इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी दिनांक 04.11.2019 होना पाया गया। आवेदक सतीश नायडु द्वारा पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध शाखा जिला जबलपुर के द्वारा उक्त एजेंसी के दस्तावेजों में हेराफेरी/कूटरचना कर धोखाधड़ी की नियत से फर्जीबाड़ा करने के संबंध में शिकायत करने पर जांच की गयी जिसमें जांच के दौरान उपरोक्तानुसार स्थिति पायी गयी तथा खटवानी सेल्स एण्ड सर्विस राईट टाउन की शाखा शारदा चौक बेदी नगर जबलपुर से रानी मिश्रा नाम की महिला को दिनांक 29.12.2019 को दुपहिया वाहन विक्रय करने तथा दिनांक 29.12.2019 को ही इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी दिनांकित 30.12.2019 से 29.12.2020 एवं थर्ड पार्टी मियाद 30.12.2019 से 29.12.2024 की होना लेख थी किन्तु उक्त शो रूम में छापे के दौरान कंपनी के कंप्यूटर में रानी मिश्रा की इंश्योरेंस की तिथि दिनांक 08.01.2020 की पायी गयी एवं आर.टी.ओ. कार्यालय से प्राप्त दस्तावेजों में रानी मिश्रा का वाहन एम.पी.20 एसडब्ल्यू 5836 का पंजीयन एवं इनवाईस दिनांक 08.01.2020 एवं इंश्योरेंस फार्म, इनरोलमेंट डिटेल, व्हीआईडी 7914988 सेल सर्टिफिकेट 08.01. 2020 लेख होना पाया गया। इस प्रकार खटवानी सेल्स एण्ड सर्विसेस के आरोपी एकाउंटेट अनुरूद्ध प्रताप सिंह द्वारा प्रोपराईट रोहित खटवानी के साथ आपराधिक षड़यंत्र रचकर मूल दस्तावेजों के अलावा किशोर नायडु के वाहन क्र. एम.पी.20 एसडब्ल्यू 0708 एवं रानी मिश्रा के वाहन क्र. एम.पी.20 एसडब्ल्यू 5836 के इनवाईस एवं बीमा पॉलिसी की तारीख बदलकर इनमें अन्य

कर्मचारियों के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उनका उपयोग आर.टी.ओ. में पंजीयन हेतु करके किशोर नायडु एवं रानी मिश्रा के साथ कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करना भी पाया गया।

13. कार्यालय पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर की ओर से जमानत आवेदन के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह लेख किया गया है कि डी.एम.एस. सॉफ्टवेयर के माध्यम से किशोर नायडु के वाहन क्र. एम.पी.20 एसडब्ल्यू 0708 का जो इनवाईस तैयार किया गया है। दिनांक 23.10.2019 को तैयार किये गये इनवाईस में आरोपी अनुरूद्ध प्रताप सिंह के हस्ताक्षर है परंतु दिनांक 04.11.2019 को तैयार किये गये इनवाईस में एजेंसी की एक अन्य कर्मचारी रूपाली के हस्ताक्षर बने हैं। एजेंसी से जप्त किये गये हाजिरी रजिस्टर के अनुसार दिनांक 04.11.2019 को रूपाली अवकाश पर थी, इससे स्पष्ट होता है कि आरोपी अनुरूद्ध प्रताप सिंह के द्वारा कूटरचित इनवाईस तैयार की गयी तथा शासन के नियमानुसार वाहन की बिक्री के 07 दिवस के भीतर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में उस वाहन का टैक्स जमा करना अनिवार्य होकर ऐसा न हो पाने की स्थिति में प्रत्येक वाहन के टैक्स का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष के मान से अधिभार देना होने तथा विक्रय किये जाने वाले वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जबलपुर में इनके पंजीयन हेतु जमा किये जाने वाले दस्तावेजों को तैयार करने में विलंब होने के कारण आरोपी अनुरूद्ध प्रताप सिंह द्वारा अपने प्रोपराईटर रोहित खटवानी से मिलकर आपराधिक षड़यंत्र के तहत कंपनी के डी.एम.एस. सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त बेदी नगर शारदा चौक की एजेंसी के कंप्यूटर में एक्सल फाईल में वाहनों के विक्रय दिनांक के बाद की तारीखों के इनवाईस, इंश्योरेंस एवं अन्य कूटरचित दस्तावेज तैयार कर इन्हें उपयोग कर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जबलपुर में पंजीयन हेतु जमा कराये जाकर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करना पाये जाने एवं उक्त एजेंसी के स्टोर/बिलिंग सेक्शन के कंप्यूटर की हार्डडिस्क नंबर Western Digital, Model No. WD10EZEX-21WN4AO S/N-WCC6Y5NH8VPT को चैक करने पर इसकी एफ ड्राईव में एक फोल्डर Madan mahal INVOICE 19-20.xlsx पाये जाने तथा उसमें एक्सेल शीट की एक फाईल में विक्रय की गयी गाड़ियों का पूर्ण विवरण जिसमें इनवाईस नं., दिनांक, ग्राहक का नाम, पूरा पता, वाहन का मॉडल, इंजन नंबर, चेचिस नंबर, भुगतान की राशि इत्यादि भरा हुआ होने तथा सबसे प्रथम कॉलम में प्रत्येक प्रविष्टि के पूर्व अंग्रेजी अक्षर N लिखा होने जिसे एडिट किये जा सकने तथा N को एडिट कर Y करने के बाद वाहन के संबंध में भरी

हुयी विवरण को एडिट कर बदला जा सकने तथा इसके उपरांत वापस एक्सेल शीट में आकर UNDO करने पर पुनः पुराना विवरण अंकित हो जाने इसी प्रकार उक्त हार्ड डिस्क में 2101204-converted.docx नाम की एक वर्ड की एडिटेबल फाइल मिलने जिसमें वाहनों के इंश्योरेंस का फार्मेट होने तथा इसे एडिट कर इसका संपूर्ण विवरण बदला जा सकने तथा हार्डडिस्क का क्लोन तैयार कर संचालक, सेंट्रल फारेंसिक साइंस लेबोरेट्री, डायरेक्टरेट आफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेस, गृह मंत्रालय, भारत सरकार भोपाल से क्लोन हार्डडिस्क की जांच कराये जाने पर उक्त फोल्डर में Madan mahal INVOICE 19-20.xlsx नाम की एक एक्सेल शीट की एडिटेबल फाईल एवं 2101204-converted.docx नाम की एक वर्ड की एडिटेबल फाइल पाये जाने की पुष्टि होना पाये जाने तथा आरोपी को जमानत का लाभ दिये जाने पर उनके द्वारा साक्ष्यों को नष्ट करने एवं प्रभावित करने के संबंध में भी लेख किया है।

14. विचारण न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि, ई.ओ. डब्ल्यू. की ओर से अभियोगपत्र दिनांक 19.11.2025 को प्रस्तुत किये जाने के संबंध में आरोपीगण को न्यायालय में उपस्थिति हेतु नोटिस के माध्यम से सूचना दी गयी है किन्तु उक्त दिनांक को आवेदकगण/आरोपीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये हैं।

15. प्रकरण में संलग्न क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जबलपुर से जप्त किये गये दस्तावेजों में खटवानी सेल्स एण्ड सर्विसेस के इनवाइस, सेल सर्टिफिकेट में किशोर नायडु को वाहन चेचिस नंबर 8एफ71323 दिनांक 04.11.2019 को विक्रय किया जाना लेख है तथा वाहन के बीमा दस्तावेज में भी वाहन का बीमा 04.11.2019 से 03.11.2020 तक किया गया है। खटवानी सेल्स एण्ड सर्विसेस के कंप्यूटर में उपरोक्तानुसार स्थिति अनुसंधान के दौरान पायी गयी है जिससे स्पष्ट है कि कभी भी उपरोक्तानुसार विक्रय किये गये वाहन के संबंध में परिवर्तन किया जा सकता है तथा सेल सर्टिफिकेट एवं बीमा दस्तावेज में उपरोक्तानुसार परिवर्तन टायपिंग/क्लेरिकल मिस्टेक नहीं है, बल्कि जानबूझकर किये गये इंद्राज हैं तथा अन्य कर्मचारी के अवकाश पर रहने पर उसके हस्ताक्षर से कूटरचित दस्तावेज तैयार किये गये हैं, जिससे आवेदक के तर्क अनुसार प्रकरण में स्थिति नहीं है, बल्कि किशोर नायडु एवं रानी मिश्रा के साथ छल करने के साथ ही 07 दिन के भीतर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जबलपुर में टैक्स जमा न कर 10 प्रतिशत अधिभार से बचने के लिये परिवहन कार्यालय से 10 प्रतिशत अधिभार वाले टैक्स की धोखाधड़ी करना भी दर्शित है तथा ई.ओ.डब्ल्यू. की ओर से आवेदकगण के साक्ष्य को नष्ट एवं प्रभावित करने की आपत्ति की है, इस कारण से आवेदकगण की

ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांतों से इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियां उपरोक्तानुसार भिन्न होने से आवेदकगण उपरोक्त न्याय दृष्टांतों का लाभ पाने के अधिकारी नहीं हैं तथा आवेदकगण की इस प्रकरण में उनकी उक्त भूमिका को देखते हुए उपरोक्त परिस्थितियों में अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

16. अतः आवेदकगण अनुरूद्ध प्रताप सिंह एवं रोहित खटवानी की ओर से पृथक–पृथक प्रस्तुत प्रथम अग्रिम प्रतिभूति आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 482 भा.ना.सु.सं. 2023 निरस्त किये जाते हैं।

17. आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस किया जाये तथा आदेश की एक प्रति पुलिस अधीक्षक, ई. ओ.डब्ल्यू, जबलपुर को भी सूचनार्थ प्रेषित की जाए।

18. प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख निर्धारित समयावधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही/–
(रूपेश कुमार गुप्ता)
26वें अपर सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

ROOPESH

Digitally signed by ROOPESH
Date: 2025.12.08 16:52:31 +0530